राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील (आर.एस.टी) सं. 632/2008/जयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त–डी, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैंसर्स मोदी स्प्रिंकलर प्रा. लि., एम.जी.डी. मार्केट, तांबी टॉवर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। ..... अपीलार्थी की ओर से.

श्री विक्रम गोगरा
अभिभाषक। ..... प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.02.2016

निर्णय

अपीलकर्त्ता राजस्व द्वारा यह अपील, उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील सं. 94/आर.एस.टी./2003–04/जी/2005–06 में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. सहायक आयुक्त, वाणिज्यक कर वृत्त–डी, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001–02 के लिये अधिनियम की धारा 29, 58, 61 व 65 के तहत् आदेश दिनांक 30.10.2003 से प्रत्यर्थी के विरूद्ध कर व सरचार्ज रूपये 9,639/–, टर्न ओवर टैक्स रूपये 42,036/–ब्याज रूपये 25,247/–शास्ति रूपये 19,278/– एवं शास्ति रूपये 1000/– का आरोपण किया गया।
2. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर, कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2003 को चुनौती दी गयी। अपीलीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान कर बिन्दुवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अरोपित समस्त कर, सरचार्ज, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त कर दिया एवं पण्यावर्त (Turnover) कर वर्ष 2001–02 के दायित्व बाबत् प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर लिखा है कि –

"टर्न ओवर टैक्स के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर टर्न ओवर टैक्स व ब्याज का आरोपण किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा विकल्प प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु अपील स्तर पर माननीय अधिवक्ता द्वारा कार्यालय में दिनांक 29.03.2001 को प्रस्तुत किये गये विकल्प प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत की है व यह भी जाहिर किया है कि पूर्ववर्ती वर्ष 2000–01 में बिक्री रूपये 30 लाख से कम होने के कारण आलौच्य अवधि में उसका टर्न ओवर टैक्स का दायित्व शून्य था। चूंकि रिकॉर्ड पत्रावली पर उक्त विकल्प प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः अपील स्तर पर प्रस्तुत फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र को अपने कार्यालय में तलाश करें व उपलब्ध होने पर गत वर्ष की बिक्री के आधार पर शून्य टर्न ओवर टैक्स का दायित्व होने के कारण आदेश में संशोधन कर आरोपित टर्न ओवर टैक्स व ब्याज कम करें। अन्यथा विधिक स्थिति के अनुसार अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए टर्न ओवर टैक्स के संबंध में पुनः आदेश पारित करें। "

3. अपीलीय अधिकारी ने निर्णय दिनांक 26.05.2007 से अपीलार्थी (यहां "प्रत्यर्थी") की अपील आंशिक स्वीकार कर टर्न ओवर टैक्स वर्ष 2001–02 के दायित्व बाबत् जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। इस आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी।

4. अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के प्रश्नगत आदेश को तथ्यों एवं नियम विरूद्ध बताते हुए लिखा कि कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ कि व्यवहारी ने विक्रय मूल्य में से किराये को घटा कर एवं विक्रय मूल्य कर सहित दर्शाते हुए बिल काटे है, परन्तु इसकी घोषणा नहीं की। व्यवहारी ने विक्रय विवरण (Sales Returns) भी साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये। टर्न ओवर टैक्स बाबत् कर मुक्ति का विकल्प प्रार्थना पत्र भी कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

5. राजस्व के विद्वान अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह एवं प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा की बहस सुनी गयी। राजस्व के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्य दोहराते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा कि प्रत्यार्थी फर्म बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के

लगातार.....3

अन्तर्गत व्यवसाय कर रही थी। विक्रय संव्यवहारों की सभी प्रविष्टियों लेखा पुस्तकों में अंकित थी एवं कोई भी संव्यवहार छुपाया नहीं गया था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, शास्ति एवं ब्याज अपास्त करने एवं टर्न ओवर टैक्स की देयता बाबत् प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का निर्णय उचित है। अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर के सचिव, जिला स्तरीय संवीक्षा समिति के पत्र दिनांक 29.10.2001 के अनुसार, जो कि वाणिज्यक कर अधिकारी द्वितीय, सर्किल–डी, जयपुर को लिखा गया है, के अनुसार प्रत्यार्थी फर्म को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1998 के तहत् 18.07.2001 से प्रथम वर्ष 2001–02 हेतु 100 प्रतिशत कर मुक्ति का पात्र घोषित किया गया। उक्त कर मुक्ति की छूट कुल 88.44 लााख रूपये (EFCI राशि का 125 प्रतिशत तक) तक एवं 11 वर्ष तक देय होने का उल्लेख उक्त पत्र में है। अतः अपीलीय अधिकारी का निर्णय बाबत् कर, शास्ति व ब्याज को निरस्त करने, उचित प्रतीत होता है। चुंकि टर्न ओवर टैक्स की देयता के विषय में रेकॉर्ड से जांच आवश्यक थी। अतः इस बिन्दु पर प्रतिप्रेषित करने का निर्णय विधि सम्मत है। कोई विधि अथवा प्रक्रिया के उल्लंघन को सिद्ध नहीं करता है।

अतः अपील अपीलकर्त्ता अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.05.2007 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य